नियम (26)

अज अदालत-सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी, बमुकाम-भीनमाल

वादी/प्रार्थी-
मंत्री, श्री जीवदया गौशाला भीनमाल

बनाम

प्रतिवादी/अप्रार्थी-
तुलछा पुत्र रूपाजी माली नि. दासपा हाल भीनमाल

किस्म मुकदमा - राजस्व वाद / प्रार्थना पत्र /.............................. नंबर- 17/2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुई
16/10/17	प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री श्रवणसिंह राव द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत अन्तर्गत धारा 128 भू.रा.अ. पत्थरगढ़ी करवाने बाबत विरुद्ध प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण पेश किया गया है जो दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण जरिए नोटिस तलब होकर मिशल आयंदा तारीख 26/10/2017 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी भीनमाल	
26.10.17	पक्षकारान पत्रावली पेश हाजिर। अप्रार्थी 1 से 5, 7 की ओर से श्री बालूराम चौधरी वकालतनामा पेश किया। जवाब हेतु अवसर चाहते हैं अवसर दिया जाता है। अप्रार्थी नं. 9 (1 से 5) 11, 12, 13 तामील प्राप्त हुए। अप्रार्थी नं. 10 फौत होना बताया गया। मिसल तारीख 30/10/17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी भीनमाल	(हस्ताक्षर) (हस्ताक्षर) मांगीलाल खेतारामजी नरपतराम
30.10.17	पक्षकारान पत्रावली पेश हाजिर। अप्रार्थी 1 से 5, 7 जवाब हेतु अवसर चाहते, अवसर दिया जाता है। अप्रार्थी नं. 9 (1 से 5) 11, 12 अनुपस्थित। प्रार्थी वकील द्वारा अप्रार्थी 10 के वारिसान दर्शाने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो शामिल मिसल है। मिसल तारीख 15.11.17 को पेश हो। (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी भीनमाल	

Scanned by CamScanner

7-2-18 पत्रावली आज पेश हुई।
वकुलाय फरीकैन हाजिर प्रार्थी द्वारा
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०
भू० राजस्व अधि० का पेश किया गया
जिसका संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार
से है कि प्रार्थी द्वारा संस्था के मंत्री
ने प्रार्थीगण सहित अन्य सह-खातेदारान
की संयुक्त खातेदारी मौजा भीनमाल A मे
जिसके वर्तमान खसरा नं० 4298 रकबा 1-81 है
4299 रकबा 1-65 हैक्टर आराजी आई
हुई है। उक्त खे०नं० मे प्रार्थीगण के
अलावा अन्य सह-खातेदारान की

Scanned by CamScanner

हुक्म

अधिक होने से प्रार्थीगण

संख्या अधिक होने से पक्षकार बनाया जाना

के रूप में पक्षकार बनाया जाना व्यवहारतः

संभव नहीं होने से बहुसंख्यक के संरक्षण

के हितार्थ व उनके अधिकारों के संरक्षण

हेतु पेश किया गया है। प्रार्थीगण की

खातेदारी आराजी की पूर्व दिशा में

ख० नं० 4296 रकबा 0.05 हैक्टेयर

एवं 4297/7087 रकबा 0.46 हैक्टेयर

आराजी में से खसरा नं० 4297/7087

की अप्रार्थीगण 1 से 12 के नाम से

खसरा नं० 4296 1 से 9 के नाम से

राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। उपरोक्त

खातेदारी की पश्चिमी दिशा के छोर

को लेकर विवाद होता है जिस हेतु

कई बार पैमाइश करवाने के बाद भी

अप्रार्थीगण सीमा चिन्ह को नष्ट करते

है जिससे ख० नं० 4298 एवं 4299

के पूर्वी छोर तथा अप्रार्थीगण के खातेदारी

आराजी के ख० नं० 4296 व 4297/7087

के बीच विवाद रहने से प्रार्थीगण की

आराजीयात की पैमाइश कर ख० नं०

4298 एवं 4299 रकबा 1.81 हैक्टेयर

एवं 1.65 हैक्टेयर की पैमाइश कर

पत्थरगढ़ी करवाने का प्रार्थना पत्र

प्रस्तुत किया एवं पत्थरगढ़ी करवाने

का निवेदन किया।

अप्रार्थी 1 से 5 एवं 7 की ओर

जवाब पेश कर बताया कि प्रार्थी

द्वारा राज० सरकार द्वारा पंजीकृत

संस्था बाबत ठोस दस्तावेज पेश नहीं

किया गया। तथा ख० नं० 4298 एवं

4299 राजस्व एवं खातेदारी भूमि

उपखण्ड अधिकारी
भीनमाल

Scanned by CamScanner

नही होकर नगर पालिका रेकर्ड मे आबादी भूमि दर्ज है। भूमि नगर पालिका खाते मे आबादी दर्ज होने से आबादी भूमी का सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी बाबत राजस्व न्यायालय को 128 राज० भू-राजस्व अधि० के तहत अधिकार नही है। झूठे कथन कर न्यायालय को गुमराह किया जाना बताया तथा बताया की पटवारी रिपोर्ट मे भूमि पर मकान बनाया जाने कि रिपोर्ट है। जबाब पेश किया बताया कि वादग्रस्त आराजी मौजा भीनमाल A के खसरा न 4298 एव 4299 राजस्व एव खातेदारी भूमि नही है तथा आबादी नगर पालिका रेकर्ड मे दर्ज है जो कृषि के उपयोगार्थ नही है। मामले मे नगर पालिका से मौका रिपोर्ट भी मंगवाई गई जांच रिपोर्ट अनुसार खसरा न· 4298 एव 4299 रकबा क्रमशः 1·81 है० एव 1-65 है० कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन अथवा धारा 90 की कार्यवाही दिनांक 27-12-12 के द्वारा हो चुकी है।

हमने दोनो पक्षो की बहस सुनी व मनन किया प्रकरण का अवलोकन किया गया प्रार्थी द्वारा खातेदारी भूमि का सीमाकन का पत्थरगढी

उपखण्ड अधिकारी
भीनमाल

Scanned by CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनि...
	करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया अब चूंकि नगर पालिका की रिपोर्ट अनुसार ख०नं० 4298 एवं 4299 रकबा क्रमश: 1-81 एवं 1-65 हैक्टर मे भूमि कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ परिवर्तन धारा 90 A की कार्यवाही दिनांक 27-12-12 को की गई ऐसी स्थिति मे उक्त भूमि कृषि भूमि नही मानी जा सकती है एवम उक्त भूमि नगर पालिका सीमा के भीतर होने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राज०भू० राजस्व बाबत पत्थरगढी करवाने का कृषि भूमि पर ही सीमाज्ञान पत्थरगढी करवाने का प्रावधान होने से स्वीकार योग्य नही पाया जाता है। अत: वादग्रस्त आराजी ख०नं० 4299 एवं 4298 रकबा 1-81 है० एवं 1-65 है० कृषि से अकृषि प्रयोजनार्थ 90A की कार्यवाही होने से नगर पालिका सीमा मे आबादी के रूप मे दर्ज होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी करवाने का अस्वीकार किया जाता है। निर्णय आज 7.2.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया मिसल फैसल शुमार होकर नियमानुसार ते कम हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी भीनमाल

Scanned by CamScanner